प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात **दिनाँक- 30.11.2025**

एसओजी टीम, थाना साइबर क्राइम व थाना अकबरपुर पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए साइबर अपराध करने वाले 04 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

लोगों से सरकारी आवास विकास में मकान दिलाने व अश्लील फिल्म देखने का अपराध कारित करने की धमकी देकर पैसा हडपते थे अभियुक्तगण।

अभियुक्तगण के कब्जे में अपराध कारित करने सम्बन्धी 07 मोबाइल फोन (स्मार्ट फोन व की-पैड़) बरामद।

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में अपराध निवारण की दिशा में साइबर क्राइम से सम्बन्धित घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, शिकायतकर्ता श्री जितेन्द्र कुमार यादव पुत्र दयाशंकर निवासी वार्ड नं0 07 कस्बा व थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात द्वारा बताया गया कि दिनांक 10.09.2025 को किसी अज्ञात व्यक्ति जिसने अपना नाम वीरेन्द्र कुमार पुत्र कुंवर सिंह निवासी बलरामपुर रानीपुर थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात व उसके अन्य 04 साथी अखिलेश सिंह, देवेन्द्र प्रताप, अनुज सिंह व मदरेश सिंह द्वारा विभिन्न लोगों के साथ फ्रॉड किये हुए रूपयों को आवेदक के साईबर कैफे पर यूपीआई के माध्यम से डालकर नगद ले लिये। कुछ दिन पश्चात् जब आवेदक श्री जितेन्द्र कुमार यादव का खाता ब्लॉक/फ्रीज हो गया तो उन्हें जानकारी हुई कि उनके खाते में धोखाधड़ी का रूपया आया है, जिसके आधार पर उनका खाता बन्द कर दिया गया है। आवेदक द्वारा दी गयी लिखित शिकायत पर जाँच करते हुए थाना साइबर क्राइम पर मु0अ0सं0 09/2025 धारा 318(4)/308(5)/351(2)(3) बीएनएस व 66डी आईटी एक्ट पंजीकृत किया गया। दिनांक 29.11.2025 को मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर एसओजी टीम, थाना साइबर क्राइम व थाना अकबरपुर पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए अभियुक्तगण 1. अखिलेश सिंह चौहान पुत्र रमेश सिंह उम्र 24 वर्ष निवासी मंगौलपुर थाना गजनेर कानपुर देहात 2. अनुज सिंह पुत्र रामासर सिंह उम्र 21 वर्ष निवासी शीतलपुर थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात 3. देवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ गौरे पुत्र राजाराम चौहान उम्र 35 वर्ष निवासी मंगोलपुर थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात 4. मदरेश पुत्र स्व0 सहदेव सिंह उम्र 40 वर्ष निवासी शीतलपुर थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात मूल निवासी कुशनेर थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ को कारण गिरफ्तारी बताते हुए गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण का नाम व पता-

1. अखिलेश सिंह चौहान पुत्र रमेश सिंह उम्र 24 वर्ष निवासी मंगौलपुर थाना गजनेर कानपुर देहात
2. अनुज सिंह पुत्र रामासर सिंह उम्र 21 वर्ष निवासी शीतलपुर थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात
3. देवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ गौरे पुत्र राजाराम चौहान उम्र 35 वर्ष निवासी मंगोलपुर थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात

4. मदरेश पुत्र स्व0 सहदेव सिंह उम्र 40 वर्ष निवासी शीतलपुर थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात मूल निवासी कुशनेर थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ

पूछताछ का विवरण- अभियुक्तगण ने पूछताछ करने पर बताया गया कि उनके द्वारा अनजान नम्बरों पर कॉल करके सरकारी आवास योजने के तहत आवास दिलवाने व अश्लील फिल्म देखने का अपराध करने की धमकी देकर पैसा ले लेते थे तथा उस पैसे को साईबर कैफे में जाकर यूपीआई के माध्यम से भेजकर नगद ले लेते थे। शेष अभियुक्त वीरेन्द्र कुमार पुत्र कुंवर सिंह निवासी बलरामपुर रानीपुर थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात के विरुद्ध विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

खाते से धोखाधड़ी से पैसा निकलने की दशा में तुरंत 1930 पर कॉल करें या www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करे।

बरामदगी का विवरण-

- 01 मोबाइल vivo x80
- 01 मोबाइल MOTOROLA edge 60 fusion व 02 की-पैड मोबाइल (सैमसंग व हीरो कंपनी)
- 01 मोबाइल oppo A12 CPH2083
- 01 एन्ड्रॉएड रीयलमी कम्पनी व 01 की-पैड मोबाइल लावा कम्पनी

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम -

एसओजी टीम, थाना साइबर क्राइम व थाना अकबरपुर पुलिस